

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
24/023	88, 188, 53 RTA	देहरी	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
बाबूलाल	बनाम	देवकीबाई वगै.	

वकील :- श्री अखिलेश शर्मा **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
16/23	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 21/8/2023 को पेश हो। <i>21/8/2023</i>	2023/57
21-9-23	पत्रावली पेश है जिसमें विवाद की जायें लिखी गई आठ पेश डोर वकील वादी उपर कजमी (जयें वादी गण की हजमी डोर तलवगत पेश करे) पत्रावली वाकि हजमी दिनांक 10-11-23 को पेश है।	
11-1-24	अपने पीदासीन अधिकारी के अन्य कार्य में बाधित होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में श्री अखिलेश शर्मा का कलमनामा दिनांक 2-3-24 को पेश हो।	
26-2-24	अपने पीदासीन अधिकारी के अन्य कार्य में बाधित होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 8-4-24 को पेश हो।	
8-4-24	अपने पीदासीन अधिकारी के अन्य कार्य में बाधित होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 8-5-24 को पेश हो।	
8-5-24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी। प्रतिवादी उपर। वकील प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र डोर 2 RTA 10 एवं धारा 151 RTA पेश हुआ। जिसकी प्रति वकील वादी को दिखाई गई। वकील वादी प्रार्थना पत्र वाकब पेश नहीं करना चाहते। प्रार्थना पत्र स्वीकार करते में कोई आपत्ति नहीं होगी।	

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Handwritten signature and notes in the bottom right corner.

पत्रावली में प्रेषित हुयी वकील कारी व स्वयं कारी उद.
 नवी की वकील कारी व स्वयं कारी को बीच का समय
 लगाना ही वाक्य प्रमाण के माध्यम से उपर
 नवी की कब: कारी का काल अलग अलग काल
 देखी है खरिद किए गए व पत्रावली के माध्यम से
 बैकाल का वकील वकील के द्वारा प्रमाण ही

AS